लखनऊ विश्वविद्यालय
कार्यालय टिप्पणी तथा आदेश

फाइल संख्या

कार्यालय ज्ञाप

लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सामान्य एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के जिन छात्र/ छात्राओं ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (सत्र 2024–25) हेतु कैशियर कार्यालय में आवेदन पत्र का प्रिंट–आउट सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ छात्रवृत्ति काउंटर पर जमा कर पावती प्राप्त की है, ऐसे समस्त छात्र/ छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग के आदेशानुसार आवेदन पत्र अग्रसारित होने की प्रक्रिया में आवेदन कर्ता की बायोमैट्रिक की अनिवार्यता की गयी।

उक्त के सम्बन्ध में निम्न तालिकानुसार कैशियर कार्यालय में काउन्टर पर आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उल्लिखित रिसीविंग नम्बर के **अनुसार निम्न तालिका में वर्णित तिथि एवं समयानुसार कुलसचिव कार्यालय में छात्रवृत्ति अनुभाग में बायोमैट्रिक लगाना सुनिश्चित करें,** अन्यथा आवेदन पत्र अग्रसारित नही हो पायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र/ छात्रा की होगी –

वर्ग	दिनांक	रिसीविंग नं०	समय
सामान्य	30–12–2024	2001 से 2100	11.00 a.m. से 1.30 p.m.के मध्य
सामान्य	31–12–2024	2101 से 2200	11.00 a.m. से 1.30 p.m.के मध्य
सामान्य	01–01–2025	2201 से 2300	11.00 a.m. से 1.30 p.m.के मध्य
सामान्य	02–01–2025	2301 से 2400	11.00 a.m. से 1.30 p.m.के मध्य
सामान्य	03–01–2025	2401 से 2500	11.00 a.m. से 1.30 p.m.के मध्य
अनु०जाति/अनु०ज०जा०	30–12–2024	1401 से 1500	2.00 p.m. से 4.30 p.m. के माध्य
अनु०जाति/अनु०ज०जा०	31–12–2024	1501 से 1600	2.00 p.m. से 4.30 p.m. के माध्य
अनु०जाति/अनु०ज०जा०	01–01–2025	1601 से 1700	2.00 p.m. से 4.30 p.m. के माध्य
अनु०जाति/अनु०ज०जा०	02–01–2025	1701 से 1800	2.00 p.m. से 4.30 p.m. के माध्य

नोट :

1. सूच्य है कि निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर सूचीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित कल्याण विभाग को प्रेषित करने के दृष्टिगत छात्र/ छात्राएं प्रत्येक परिस्थिति में दिनांक 02 जनवरी, 2025 तक आवेदन पत्र जमा करने एवं उपरोक्त सारणी में उल्लिखित तिथि एवं समयानुसार जनवरी 08, 2025 तक बायोमैट्रिक कराना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त आवेदन पत्र जमा नही किये जाएंगें जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्र/ छात्रा का होगा।
2. सामान्य वर्ग के छात्रों के पावती पर उल्लिखित रिसीविंग नम्बर 01 से 2000 तक एवं अनुसूचित जाति/ जनजति के छात्रों के पावती पर उल्लिखित रिसीविंग नम्बर 1301 से 1400 तक ऐसे छात्र/ छात्राएं जिन्होंने ने पूर्व में निर्धारित तिथि में बायोमैट्रिक नही कराया है, ऐसे सभी छात्र/ छात्राओं को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनवरी 08, 2025 तक कार्यालय दिवस एवं अवधि में कुलसचिव कार्यालय में छात्रवृत्ति अनुभाग में प्रत्येक परिस्थिति में उपस्थित होकर बायोमैट्रिक कराना सुनिश्चित करें जिससे आवेदन फार्म को संस्था स्तर से अग्रसारित किया जा सके, अन्यथा समस्त उत्तरदायित्व स्वयं छात्र/ छात्र का होगा।

आज्ञा से –
नोडल ऑफीसर (छात्रवृत्ति) 28.12.24